

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 2021 के नियम 31(ख) के प्रावधानान्तर्गत उप-प्राचार्य पद की वर्ष 2022-23 हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा बैठक दिनांक 17.02.2023 में की गई अनुशानुसार प्राध्यापक-स्कूल शिक्षा से उप-प्राचार्य एवं समकक्ष पद (अनुसूची-1) पर निम्नांकित कार्मिक के विरुद्ध राजस्थान असेनिक सेवायें(वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण इनका चयन संबंधी निर्णय बन्द लिफाफे में रखा गया था।

कार्मिक के विरुद्ध विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त किये जाने के फलस्वरूप इनके चयन संबंधी निर्णय का बन्द लिफाफा खोला जाकर इनके नाम के सामने कॉलम 10 में अंकित रिक्ति तिथि के प्रति उप-प्राचार्य उमावि एवं समकक्ष(अनुसूची-1) पद पर चयन किया जाता है:-

क्रसं	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता अवधि	नाम कार्मिक मय पद	जन्मतिथि	लिंग	वर्ग	डीपीसी वर्ष	चयन वर्ग	चयन तिथि
1	6793	2015-16	Maya Rahichandani lect-com	28-09-1979	F	-	2022-23	UR	04-08-2022

उक्त कार्मिक के पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,

बीकानेर

क्रमांक- शिविरा-माध्य/संस्था-डीपीसी/प्रभाग-2/प्राचार्य/2022-23 () दिनांक :- 24/04/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/संस्था-सी/गोपनीय प्रतिवेदन अनुभाग।
9. अनुभाग अधिकारी, संस्थापन-एबी अनुभाग को पदस्थापन से संबंधित आगामी कार्यवाही हेतु।
10. निजी एवं रक्षित पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी(डीपीसी)
माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान,
बीकानेर